Tijaria Polypipes Limited

TIJARIA®
AN ISO-9001:2015 CERTIFIED COMPANY
NATIONAL AWARD WINNER

Date: 30/03/2026

To TheManager, DepartmentofCorporateServices BSELimited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Scrip Code: 533629	To ListingCompliances, NationalStockExchangeofIndiaLimited ExchangePlaza, BandraKurlaComplex, Mumbai-400051 NSE Symbol: TIJARIA

Dear Sir/Madam

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref: Copy of Bail of Order of Additional Chief Judicial Magistrate.

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, Please find enclosed herewith the Copy of Order of Bail Received from Order of Additional Chief Judicial Magistrate, Jaipur, Rajasthan.

This is for your information and records please.

Thanking You.
For Tijaria Polypipes Limited

Praveen Jain Tijaria
Digitally signed by Praveen Jain Tijaria
Date: 2026.03.30 14:38:24 +05'30'

Praveen Jain Tijaria
Whole Time Director
Din No.00115002

Encl: As Above

PIPING SOLUTIONS

Correspondence Office:
A-130 (H), Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area
Jaipur-302013 (Raj.) India
Tel : 0141-2333722
E-mail: info@tijaria-pipes.com

Regd. Office / Works:
SP-1-2316, RIICO Industrial Area
Ramchandrapura, Sitapura Extn.
Jaipur-302022 (Raj.) India.
CIN - L25209RJ2006PLC022828

Scw.ed

3×2=6

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा (जजेज/ए.सी.जे.एम.)
जिला न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय

प्रार्थना पत्र प्रतिलिपि संख्या 7596
प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक 28/3/26
प्रतिलिपि किये कुल पृष्ठ संख्या ....
प्रतिलिपि शुल्क/फोटो शुल्क ....3........
प्रतिलिपि फोटो स्टेट का नाम ....4.50 Rs
प्रतिलिपि देने की निश्चित दिन........ cvr
प्रतिलिपि तैयार करने की तारीख ....
प्रतिलिपि देने की तारीख........

प्रतिलिपि प्रति ....आदेश........
न्यायालय ....ध्यानी........ जयपुर महानगर
किस्म मुकदमा ....कोर्ट........
मुकदमा नम्बर ....
पक्षकारों का नाम ....आलोक जैन/ex
नाम ....
....

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा (जजेज/ए.सी.जे.एम.) जयपुर महानगर द्वितीय

28-3-26

मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
जजेज/ए.सी.जे.एम. कोर्ट
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

(Order 24 Rule 7, Order, 32 Rule 3)

Order Sheet CNR NUMBER..............

Court of..at..

Kind of Case.........Cr. Appeal.........................255/26..............

Number of Case..Year..2026..............

.........आलोक वगैरह.............. Versus........सरकार व अन्य..................

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of Compliance of the Order
19/03/26	वकील अपीलार्थीगण उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट देखी गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। यह प्रकरण सुनवाई एवं निस्तारण हेतु न्यायालय **विशिष्ठ न्यायाधीश (सती निवारण प्रकरण) जयपुर महानगर द्वितीय** जयपुर महानगर द्वितीय को अंतरित किया जाता है। पक्षकारान उक्त न्यायालय में दिनांक 19.03.2026 को उपस्थित होवे। पत्रावली इस न्यायालय में फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सैशन न्यायाधीश 19/03/26 जयपुर महानगर द्वितीय	

मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
जजेज/ए.सी.जे.एम. कोर्ट
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

प्रति हस्ताक्षर
सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी 20/3/26
प्रतिलिपि शाखा
जजेज/ए.सी.जे.एम. कोर्ट
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

फर्द अहकाम
अज अदालत–विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण) राजस्थान एवं अपर सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय

आलोक जैन तिजारिया वगैरह **बनाम** राजस्थान सरकार वगैरह
फौजदारी अपील संख्या : 255/2026 (257/26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.03.2026	अपीलार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय से अंतरित होकर प्राप्त हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता अपीलार्थी ने विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.03.2026 को पारित आदेश व दण्डादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को अपील के निस्तारण तक स्थगित करने की प्रार्थना की, सुना गया। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय–**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा निर्णय दिनांक 17.03.2026 के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त आलोक जैन तिजारिया व अन्य को अपराध अन्तर्गत धारा 63, 68, 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 63 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अपराध में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 3,000/– रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारवास, धारा 68 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अपराध में 3 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास व 6,000/– रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारवास तथा धारा 628 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अपराध में 01 वर्ष का साधारण कारावास व**	/

प्रदीप कुमार द्विवेदी
न्यायाधीश (सती निवारण प्रकरण)
राजस्थान, जयपुर एवं अपर सेशन न्यायालय, जयपुर

मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
एजेज/ए.सी.जे.एम. कोर्ट
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

फर्द अहकाम
अज अदालत–विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण) राजस्थान एवं
अपर सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय

आलोक जैन तिजारिया वगैरह **बनाम** राजस्थान सरकार वगैरह
फौजदारी अपील संख्या : 255/2026 (257/26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5,000/– रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, से दण्डित किया गया है। वर्तमान में अपील के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिये न्यायहित में अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण, का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी आदेश दिनांक से **एक माह** के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष **25,000/– रूपये की राशि** का मुचलका एवं इसी राशि की जमानतनामा इस आशय की पेश कर तस्दीक करावे कि अपीलार्थीगण अपील में प्रत्येक पेशी के दौरान अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होता रहेंगे एवं किसी भी प्रकार से अपील को विलम्बित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उसे अपील के दौरान उन्हें दी गई सजा स्थगित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे। विद्वान विचारण न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया जावे। प्रत्यर्थी को जरिए सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तामील/तलवी दिनांक ......16/5/26........ को पेश हो। (प्रदीप कुमार द्वितीय) विशेष न्यायालय (सती निवारण प्रकरण) एवं अपर सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय	

प्रति हस्ताक्षर
सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
(जजेज/ए.सी.जे.एम. कोर्ट
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
(जजेज/ए.सी.जे.एम. कोर्ट
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय